राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, महात्मा गांधी नरेगा) शासन सचिवालय, जयपुर

क्रमांकः–एफ 10(6)ग्रावि/नरेगा/जेटीए/2010 पार्ट–1/60744 जयपुर, दिनांकः 30 JAN 2017

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस
एवं जिला कलक्टर,
जिला समस्त, राजस्थान

विषयः– महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत संविदा पर नियोजित कनिष्ठ तकनीकी सहायकों के कार्यक्षेत्र परिवर्तन के सम्बन्ध में।

संदर्भः– विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 06.09.2016 एवं 20.10.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों के द्वारा निर्देश दिये गये थे कि संविदा पर नियोजित कनिष्ठ तकनीकी सहायकों का समय समय पर आवश्यकता अनुसार कार्यक्षेत्र परिवर्तित किया जावें एवं जो कनिष्ठ तकनीकी सहायक तीन वर्ष से अधिक अवधि से समान कार्यक्षेत्र में कार्यरत है, के कार्यक्षेत्र में तत्काल प्रभाव से परिवर्तन कर विभाग को अवगत कराया जावे।

दिनांक 20.01.2017 को संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जयपुर जिले की पंचायत समिति दूदू के भ्रमण के दौरान यह पाया गया कि योजनान्तर्गत कार्यरत एक कनिष्ठ तकनीकी सहायक को 23 ग्राम पंचायतों का कार्यभार दिया हुआ था। कनिष्ठ तकनीकी सहायक के पास इतनी अधिक संख्या में ग्राम पंचायतों का कार्यभार होने से कार्यों की गुणवत्ता एवं योजना की प्रगति पर विपरीत प्रभाव पडता है।

अतः इस सम्बन्ध में पुनः निर्देशित किया जाता है कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कार्यरत कनिष्ठ तकनीकी सहायकों की सेवायें संविदा अवधि में कार्य उपलब्धता अनुसार जिले की किसी भी पंचायत समिति में आवश्यकता अनुसार ली जावे। विभाग द्वारा पूर्व में भी निर्देशित किया गया है कि संविदा पर नियोजित कनिष्ठ तकनीकी सहायकों का समय समय पर आवश्यकता अनुसार कार्यक्षेत्र परिवर्तित किया जावें एवं जो कनिष्ठ तकनीकी सहायक तीन वर्ष से अधिक अवधि में समान कार्यक्षेत्र में कार्यरत है के कार्यक्षेत्र में तत्काल प्रभाव से परिवर्तन कर विभाग को अवगत करावें।

यदि किसी प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश/निर्णय पारित किया गया है, तो माननीय न्यायालय के आदेशकी पालना सुनिश्चित की जावें।

भवदीय

(देबाशीष पृष्टि)
आयुक्त, ईजीएस
25.1.17

प्रतिलिपिः–

1. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त राजस्थान।
2. अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस जिला परिषद समस्त राजस्थान।

परि. निदे. एवं संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस